मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जून 2014-ज्येष्ठ 23, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हाई स्कूल की अंकसूची में नाम सत्येन्द्र पुत्र श्री पूनमचन्द अंकित है. जबकि वर्तमान में मैं अपना नाम सत्येन्द्र शास्त्री रख लिया है. मेरे सभी कार्य व्यवहार अब इसी नाम से होते हैं तथा भविष्य में भी मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(सत्येन्द्र)

नया नाम :
(सत्येन्द्र शास्त्री)
पुत्र स्व. श्री पूनमचन्द
निवासी-एम.आई.जी.-बी-202,
माधवराव सिंधिया एक्लेव, ठाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.).

(115-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं घोषणा करता हूं कि पूर्व में मेरा नाम मनीष सागर था, जिसे परिवर्तन कर नया नाम मनीष कुमार सागर रख लिया है. मैं, अपने नये नाम मनीष कुमार सागर के नाम से भविष्य में जाना-पहचाना व पुकारा जाऊँगा.

पुराना नाम :
(मनीष सागर)

नया नाम :
(मनीष कुमार सागर)
पुत्र श्री काशीराम सागर,
निवासी—बी-17, सूर्य नगर,
शब्दप्रताप आश्रम के पास, ग्वालियर.

(119-बी.)

CHANGE IN NAME

I, Vasudev Santwani S/o Nandlal Santwani hereby declare that I have change my name as Vijay Kumar Santwani S/o Nandlal Santwani so, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :
(Vasudev Santwani)

New Name :
(Vijay Kumar Santwani)
S/o Nandlal Santwani,
Add.-Gali No. 05, Santwani Bhawan,
Sindhi Colony, Khandwa (M. P.).

(121-B.)

CHANGE OF NAME

I, Mr. Mohan Lal Bhattacharjee have changed my name from Mr. Mohan Lal Bhattacharjee to Mr. Makhan Lal Bhattacharjee S/o Ankul Chandra Bhattacharjee, by affidavit sworn before the Notary Public, Jabalpur on 26-05-2014. Henceforth I shall be known as Mr. Makhan Lal Bhattacharjee S/o Ankul Chandra Bhattacharjee for all official purposes.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Old Name :

(MOHAN LAL BHATTACHARJEE)

New Name :

(MAKHAN LAL BHATTACHARJEE)

S/o Ankul Chandra Bhattacharjee.

(116-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. मीना टेमक पुत्री श्री रामजीराव टेमक था. विवाह पश्चात् मुझे श्रीमति संध्या जाधव पति श्री संजय जाधव के नाम से जाना-पहचाना जावे साथ ही समस्त व्यवहार भविष्य में श्रीमति संध्या जाधव पति श्री संजय जाधव के नाम से ही किया जावे.

पुराना नाम :

(मीना टेमक)

पुत्री श्री रामजीराव टेमक.

नया नाम :

(संध्या जाधव)

पति श्री संजय जाधव,

खटके साहब का बाड़ा, निम्बालकर की गोठ नं. 2,

लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

(127-बी.)

नाम परिवर्तन

शादी से पूर्व मेरा नाम RANJANA PADEGONKAR था तथा शादी के बाद मेरा नाम ARTI SELUKAR हो गया है, अत: सभी शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम ARTI SELUKAR लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(RANJANA PADEGONKAR)

नया नाम :

(ARTI SELUKAR)

LIG-123, Sector A, Sonagiri,

Raisen Road, Bhopal (M. P.).

(123-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सुरिन्दर कौर है जबकि मेरा घरेलू नाम पॉली सिंह है, लेकिन मेरे बेटे लक्ष्यदीप सिंह की 10, 12 की अंकसूची एवं जन्म प्रमाण-पत्र में मेरा घरेलू नाम पॉली सिंह ही लिखा हुआ है एवं उसके पासपोर्ट में मेरा सही नाम सुरिन्दर कौर लिखा हुआ है. अत: मुझे मेरे एवं उसके सभी कागजात में मेरे सही नाम सुरिन्दर कौर से ही मुझे लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(पॉली सिंह)

नया नाम :

(सुरिन्दर कौर)

बी. जी. 163, स्कीम नं. 74 सी,

विजय नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(126-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बेटे का सही नाम लक्ष्यदीप सिंह है जबकि उसकी 10वीं एवं 12 वीं की अंकसूची में उसका नाम लक्ष्य सिंह लिखा हुआ है जो कि गलत एवं अधूरा नाम है एवं उसके जन्म प्रमाण-पत्र और पासपोर्ट में सही नाम लक्ष्यदीप सिंह लिखा हुआ है. अत: उसे उसके सभी कागजात में उसके सही नाम लक्ष्यदीप सिंह से ही लिखा, पढ़ा जावे.

त्रिलोचन सिंह,

बी. जी. 163, स्कीम नं. 74 सी,

विजय नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(124-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पंजीकृत भागीदारी फर्म मे. शिव समर्थ प्रोजेक्ट, 278 ए/बी नर्मदा रोड, जबलपुर में दिनांक 01-04-2014 को व्यापार प्रारंभ होने से पूर्व भागीदार के रूप में श्री प्रकाश रिझवानी आत्मज श्री रामचन्द्र रिझवानी, निवासी —278 ए/बी नर्मदा रोड, जबलपुर तथा श्रीमति उमा देवी रिझवानी पत्नी श्री रामचन्द्र रिझवानी, निवासी —278 ए/बी नर्मदा रोड, जबलपुर भागीदार के रूप में शामिल कर लिये गये हैं एवं तत्पश्चात् श्री लक्ष्मण दास रिझवानी पुत्र स्व. धन्नामल रिझवानी, निवासी —278 ए/बी नर्मदा रोड, जबलपुर एवं श्रीमति प्रमिला देवी रिझवानी पत्नी श्री लक्ष्मण दास रिझवानी, निवासी —278 ए/बी नर्मदा रोड, जबलपुर भागीदारी फर्म से विलग हो गए हैं.

For—Shiv Samarth Project,
राम चन्द्र रिझवानी एच. यू. एफ.,
(पार्टनर).

(117-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स माँ भवानी बिल्डर्स, स्थित न्यू सिटी कॉलोनी, गुना में दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से भागीदार श्री अभिषेक रघुवंशी पुत्र श्री. ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी, निवासी राधा कॉलोनी, गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक से नवीन भागीदार के रूप में श्री विपेन्द्र कुमार रघुवंशी पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम उमरी, ईषागढ़, गुना फर्म में सम्मिलित हो गये हैं साथ ही इसी दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से फर्म का स्थान न्यू सिटी कॉलोनी, गुना से नवीन स्थान एम. आई. जी. 35, साड़ा कॉलोनी, राघौगढ़, जिला गुना मध्यप्रदेश हो गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

लक्षमण कुमार ठाकुर
फर्म—माँ भवानी बिल्डर्स,
न्यू सिटी कॉलोनी, गुना (मध्यप्रदेश).
द्वारा—श्री दिनेश कुमार नेमा (सी. ए.)
नयापुरा, गुना.

(118-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स श्रीपाल शर्मा, शांति बिहार कॉलोनी पड़रा रीवा में दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को फर्म में नये पार्टनर के रूप में चन्द्रकिरण मालवीय को शामिल किया गया है. फर्म से दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को पार्टनर चन्द्रपाल पाण्डेय, धर्मपाल पाण्डेय, सुमित्रा पाण्डेय को पृथक् किया गया है. उक्त दिनांक के पश्चात फर्म से पृथक् किए गए पार्टनर का फर्म से किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं रहेगा. फर्म के शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे.

For : M/s Shripal Sharma,
(Partner),
शांति बिहार कॉलोनी, मा. नं. एम.आई.जी.-31,
पड़रा रीवा (म. प्र.).

(120-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म अभिषेक कंस्ट्रक्शन के भागीदार श्री आकाश दुबे पिता श्री अरूण दुबे ने इस भागीदारी फर्म से दिनांक 30-07-2011 को कार्य समाप्ति पर अपने को पृथक् कर लिया है. अब दिनांक 01-08-2011 से वे इस फर्म के भागीदार नहीं होंगे. भागीदारी फर्म शेष चारों भागीदारों द्वारा 01-08-2011 से अपनी भागीदारी स्थापित कर व्यापार जारी रखे हैं.

मे. अभिषेक कंस्ट्रक्शन,
अनूप कुमार दुबे,
(भागीदार).
द्वारा—अनिल चौदा (एडवोकेट)
गुजराती बाजार, सागर (म. प्र.).

(122-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. अभिषेक कंस्ट्रक्शन के भागीदार स्व. श्री अभिषेक दुबे पिता श्री राजबाबू दुबे की कार्य समाप्ति 13-02-2013 को निधन के दौरान हो गई थी. फर्म की रचना में परिवर्तन 18-03-2013 भागीदारी पत्रक में स्व. श्री अभिषेक दुबे को पृथक् कर दिया गया है. नये भागीदार श्रीमति रेखा दुबे पति राजबाबू दुबे को फर्म में सम्मिलित किया है. फर्म में शेष चार भागीदार 1. अनूप दुबे, 2. श्रीमति आभा दुबे, 3. श्रीमति राधारानी दुबे, 4. श्रीमति रेखा दुबे अपनी भागीदारी स्थापित कर व्यापार जारी है. अत: आम सूचना जानकारी हेतु प्रकाशित है.

मे. अभिषेक कंस्ट्रक्शन,
अनूप कुमार दुबे,
(भागीदार)
द्वारा—अनिल चौदा (एडवोकेट)
वर्णी कॉलोनी, गुजराती बाजार, सागर (म. प्र.).

(122-A-बी.)

जाहिर सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, मे. इलेक्ट्रोव्हे सिस्टम्स के भागीदार श्री अतुल पिता श्री बी. के. दिक्षीत एवं श्री धवल पिता श्री हरिराव करडेकर द्वारा भागीदारी का व्यवसाय प्रकोष्ठ क्रमांक 204, समीर काम्पलेक्स, 27-29, आर. एन. टी. मार्ग छावनी, इन्दौर से संचालित किया जाता रहा है. सदर भागीदारी फर्म का दिनांक 01-04-2014 को विधिवत् रूप से दोनों भागीदारों की सहमति से विघटन हो चुका है. सदर भागीदारी फर्म के विघटन पश्चात् सदर स्थान पर मे. इलेक्ट्रोव्हे सिस्टम्स प्रोपरायटरशिप फर्म तर्फे प्रोपरायटर श्री अतुल पिता श्री बी. के. दिक्षीत इस नाम से अपना व्यवसाय कर रहे हैं तथा सदर प्रोपरायटरशिप के द्वारा भविष्य में किये जाने वाले समस्त व्यवहार, व्यवसाय आदि मे. इलेक्ट्रोव्हे सिस्टम्स प्रोपरायटरशिप फर्म के नाम से ही किये जावेंगे. भागीदारी फर्म का किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा. भागीदारी फर्म बाबद किसी व्यक्ति, संस्था आदि का कोई लेन-देन शेष नहीं है.

मे. इलेक्ट्रोव्हे सिस्टम्स,
अतुल पिता श्री बी. के. दिक्षीत,
(प्रोपरायटर).

(125-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारी साझेदारी फर्म "मै. अमर कन्स्ट्रक्शन", 37, आनंदा कॉलोनी, रिंग रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश) के पते पर हम चार साझेदारों के द्वारा संचालित की जा रही थी, जिनके नाम श्री प्रेम गोयल पिता श्री भोलारामजी गोयल, श्री पवन कुमार अग्रवाल पिता श्री आशारामजी अग्रवाल, श्रीमती शारदा पति श्री ओमप्रकाशजी अग्रवाल एवं श्रीमती राधिका पति श्री पवनजी अग्रवाल है. श्री प्रेम गोयल पिता श्री भोलारामजी गोयल का दिनांक 24-02-2013 को आकस्मिक स्वर्गवास हो जाने की वजह से उनकी जगह श्री पियुष कुमार अग्रवाल पिता श्री प्रेमकुमार गोयल को दिनांक 24-02-2013 से साझेदारी फर्म में साझेदार के रूप में शामिल किया गया है. नए साझेदार को शामिल करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो, तो इसकी सूचना, प्रकाशन दिनांक से 15 दिनों के अन्दर नीचे दिये गये पते पर देवें.

मै. अमर कन्सट्रक्शन,
पवन कुमार अग्रवाल,
(साझेदार)
37, आनंदा कॉलोनी, रिंग रोड,
इन्दौर (मध्यप्रदेश).

(128-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, मंदसौर

क्र. बफा/नवम्/स.श्र.मं./2014.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ-4 (ए)/5/2011/ए-16,

दिनांक 08 जुलाई, 2011 द्वारा प्रदेश की 219 नगर परिषदों में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 प्रभावशील किया गया है, जिसमें सुवासरा नगर परिषद भी सम्मिलित है.

मैं, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25, सन् 1958) की धारा-13 की उपधारा- 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सुवासरा नगर परिषद् के लिये लोक हित में साप्ताहिक बंद का दिन "शुक्रवार" घोषित करती हूँ.

मेघना भट्ट,
सहायक श्रमायुक्त.

(408)

कार्यालय कलेक्टर, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 12 मई, 2014

क्र. 6946/वित्त/ए.एफ.सी./26/2014-15.—श्रमायुक्त, म. प्र. इन्दौर की पत्र पृ. क्र. 1/9/अन्वे/पाँच/2009/12082-122, इन्दौर, दिनांक 03 अप्रैल, 2014 के अनुसार शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों हेतु दिनांक 01-04-2014 से प्रभावशील दरें "अनुसूची (क)" के अनुसार अधिसूचित की गई है.

मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ट 6 के नियम 43 के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01-04-2014 से अनुसूची (क) के आधार पर निम्नानुसार दरें अधिसूचित की जाती हैं. तद्नुसार जिला होशंगाबाद के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू होंगी :—

अनुसूची-क

शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है. (आंकड़े रुपयों में)

श्रमिक वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप दैनिक दरें
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अकुशल	3070.00	102.33	2775.00	92.50	5845.00	194.43	194.00
अर्धकुशल	3200.00	106.66	2775.00	92.50	5975.00	199.16	199.00
कुशल	3350.00	111.66	2775.00	92.50	6125.00	204.16	204.00

इसके अतिरिक्त कृषि श्रमिकों के लिये अनुसूची "द" निम्नानुसार है :—

अनुसूची-द

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है. (आंकड़े रुपयों में)

श्रमिक वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप दैनिक दरें
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अकुशल कृषि श्रमिक	2550.00	85.00	2196.00	158.20	4746.00	158.20	158.00

राहुल जैन,
कलेक्टर.

(432)

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 4 जून, 2014

अल्पावधि निविदा सूचना

क्र./जी.बी./दो (42) 2014/1715.—ऑनलाईन ई-टेण्डरिंग **www.mpeproc.gov.in** से पेपर सील (तकनीकी विवरण पृथक् पृष्ठ पर) मुद्रण कार्य हेतु इंडियन बैंक एसोसियेशन (I.B.A.) में गोपनीय कार्य हेतु पंजीकृत मुद्रकों जिनके पास बहुरंगी मुद्रण मशीन स्थापित हो से की-डेट्स अनुसार दरें आमंत्रित की जानी हैं. तकनीकी निविदा की हार्ड कापी एवं पोर्टल से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 16 जून, 2014 को अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष डाउनलोड की जायेगी.

ऑनलाईन निविदा की हार्ड कापी, पेपर नमूने अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** पर भी रखा गया है. आवश्यक होने पर किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन की जानकारी वेबसाइट **www.mpeproc.gov.in** पर उपलब्ध होगी.

(436)

Bhopal, Dated 4th June, 2014

SHORT TENDER NOTICE

No. GB-II/(42)/2014/1715.— ONLINE Bidding are invited on **www.mpeproc.gov.in** from Registerd Printers of Indian Bank Association (IBA) who have Multicolour Printing Machine for Printing of Multicolour, paper seal as per key dates. The Envelope of Hard Copy and Downloading of E-tender document on the same day. *i.e.* 16th June, 2014 at 4.00 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

2. In all respects complete Hard Copy of tender document, certified Paper Sample, acceptation of tender condition must be received at the office of the undersigned as per key dates.

3.Tender Notice and conditions of tender with technical details are also available at website **www.govtpressmp.nic.in** and for Online Bidding go through **www.mpeproc.gov.in.** All corrigendum/amendments/ change, if any will only be issued and made available only on Website **www.mpeproc.gov.in.**

RENU TIWARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(436-A)

ग्वालियर, दिनांक 03 जून, 2014

क्र. भण्डार-2/( )/2014-15/1438.—शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर के सम्पूर्ण भवन, परिसर की साफ-सफाई , रद्दी कतरन को एकत्रित करना एवं गमलों के रख-रखाव हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से सील बन्द लिफाफे में दरें आमंत्रित की जाती हैं.

2. निविदा पत्र दिनांक 19 **जून, 2014** तक कार्यालयीन समय में निविदा पत्र का मूल्य रुपये **200.00** नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है.

3. निविदायें द्वि-पद्धति के आधार पर आमंत्रित की जाती हैं. निविदा प्रपत्र **'क'** में निविदा का तकनीकी भाग रखा जाये. निविदा प्रपत्र **''ख''** में वाणिज्यिक भाग होगा. जिसमें वर्णित सम्पूर्ण कार्य की मासिक दर स्पष्ट भरी जावें. यह दोनों निविदा पत्र भी पृथक्-पृथक् लिफाफों में रखे जावें. उपरोक्त दोनों लिफाफे एक लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत करना होगा. तकनीकी एवं कॉमर्शियल के ऊपर तकनीकी निविदा एवं कॉमर्शियल निविदा शब्द अंकित किया जावे.

4. निविदायें दिनांक **24 जून, 2014** के अपराह्न 1.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी एवं तकनीकी निविदा उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में खोली जावेगी. तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की कमर्शियल निविदा पश्चात् में खोली जावेगी जिसकी सूचना पृथक् से दी जावेगी.

विलास मंथनवार,
उप-नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
ग्वालियर.

(409)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभाग, मुरैना

मुरैना, दिनांक 25 अप्रैल, 2014

प्र. क्र. 02/13-14/बी-113/403.

बनाम :—हर आम जनता, मुरैना.

जर्ये उद्घोषणा द्वारा हर आम जनता, मुरैना को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री शांतीलाल जैन पुत्र शंकरलाल जैन, निवासी जगदीश मिल के पीछे, दत्तपुरा, मुरैना के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास पंजीयन 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत "ज्ञान तीर्थ ट्रस्ट", पता ग्राम हिगौनाखुर्द, तहसील व जिला मुरैना के गठन किये जाने संबंध में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसका विवरण निम्नानुसार है.—

1. न्यास का पूरा नाम— "ज्ञान तीर्थ ट्रस्ट".
2. पता—ग्राम हिगौनाखुर्द, तहसील व जिला मुरैना.
3. लोक न्यास का उद्गम, प्रकृति और उद्देश्य—जन साधारण में धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावनाओं को जागृत करना, धार्मिक कार्यक्रमों का मंचन मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला, प्याऊ, गउशाला आदि का निर्माण करना.
4. न्यास की चल/अचल संपत्ति का विवरण—51,000/-
5. न्यास की आय का स्रोत—न्यासी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा दान में दी गई राशि.

उक्त ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 45 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें. अवधि समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 25 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

अशोक कम्ठान,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(413)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जबलपुर

राजस्व प्र. क्र. 3/बी-113/1/13-14.

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

चूँकि राजय गुप्ता पिता जगदीश प्रसाद गुप्ता, सुधांशू गुप्ता पिता राजेश कुमार गुप्ता, अशोक परयानी पिता दत्ताराम परयानी द्वारा "सत्तोमोहन एजुकेशन पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट" 519, गांधीगंज, निवाडगंज, जबलपुर के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08 जुलाई, 2014 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम	:	"सत्तोमोहन एजुकेशन पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट" 519, गांधीगंज, निवाडगंज, जबलपुर.
2.	चल सम्पत्ति	:	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच गोपालबाग, जबलपुर के खाता क्र.-408502010641849 में जमा राशि 26,000/-.
3.	अचल सम्पत्ति	:	कुछ नहीं.

नेहा माख्या,
पंजीयक.

(414)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्ररूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "ए आई सी टी ई ट्रस्ट" द्वारा श्री विनय मल्होत्रा आ. श्री तिलकराज मल्होत्रा, निवासी ई 1/112, अरेरा कॉलोनी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 22 जून, 2014 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम	..	"ए आई सी टी ई ट्रस्ट" ई 1/112, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
2.	अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
3.	चल सम्पत्ति	..	1000/-

जी. एस. धुर्वे,
रजिस्ट्रार.

(412)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग खण्डवा, जिला खण्डवा

प्र. क्र. 02/बी-113(1)/2013-14. दिनांक 20 मई, 2014 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1), के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री जगदीश पटेल, निवासी ग्राम कोरगला, तहसील खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951, की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 27 जून, 2014 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	..	गुर्जर समाज मांगलिक भवन, ग्राम कोरगला, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा
चल सम्पत्ति	..	रुपये 2,00,000/- नगद, समाज के बर्तन अनुमानित कीमत 1,50,000/-
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.

महेन्द्रसिंह कवचे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(411)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़

प्र. क्र. 02/बी-113/13-14/567. दिनांक 05 मई, 2014

प्रारूप क्रमांक-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

पंजीयक,
लोक न्यास, जतारा,
जिला टीकमगढ़ के समक्ष.

चूँकि आवेदक सुभाषचन्द्र जैन, अध्यक्ष श्री 1008 दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा जी प्रबंध कमेटी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 06 जून, 2014 के समय 11.00 बजे पर मेरे न्यांयालय में विचार में लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना-पत्र द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, एस. एल. सोनी, पंजीयक, लोक न्यास, जतारा, जिला टीकमगढ़ का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 05 मई, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का न्यासधारी या कर्मकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	..	श्री 1008 दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा जी ट्रस्ट, जिला टीकमगढ़ (म. प्र.)
अचल सम्पत्ति	..	कृषि भूमि ख. नं. 858/3, रकबा 1.620 है. स्थित ग्राम बंधा, तहसील मोहनगढ़.
चल सम्पत्ति	..	मूर्ति धातु पीतल-16, मूर्ति संगमरमर-29, मूर्ति देशी पाषाण-31, मूर्ति धातु सफेद-2, मूर्ति कसौटी पत्थर-3, सिद्ध मूर्ति पीतल-4, हौ चौबीसी पीतल-1, अष्ट प्रतिचार्य सैट स्टील (चाँदी पालिस)-1, अष्ट प्रतिचार्य सैट स्टील (लेमीलेशन)-1, पंचमेरू स्टील चॉदी पालिस सेट-1, छत्र नग-15 (चाँदी-1, सोना-1, गिलट चाँदी पालिस-13), सिंगासन नग-16, भामण्डय नग-11, यंत्र तापीतल-32.

एस. एल. सोनी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(434)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सामान्य वनमंडल, डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 16 मई, 2014

क्र./426.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र शहपुरा के अंतर्गत श्री ए. एल. सेन तत्कालीन परिक्षेत्र, सहायक संग्रामपुर से पर्सनल हैमर नं. [त ↑ 9 / S M] वनक्षेत्र के भ्रमण के दौरान कहीं गिर गया है. उक्त हैमर किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो उसे थाने में

अथवा नजदीकी वन कार्यालय में जमा करें. उक्त हैमर का अनाधिकृत रूप से उपयोग करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा.

एल. पी. तिवारी,
वनसंरक्षक.

(410)

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,जिला कार्यालय उज्जैन

आगर निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र के प्रकाशन की सूचना

क्र.1246, उज्जैन दिनांक 06 जून, 2014 एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आगर निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक 13 जून, 2014 को प्रकाशित किया गया है और उसकी एक प्रति,

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन,
2. कलेक्टर, जिला आगर,
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भरतपुरी विकास प्राधिकरण भवन, उज्जैन,
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, आगर-मालवा,

के कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र से सम्बन्धित हो, उसे लिखित में कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भरतपुरी विकास प्राधिकरण भवन, उज्जैन अथवा कार्यालय नगर पालिका परिषद् आगर-मालवा में ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत करें.

परमजीत कलसी,
प्र. संयुक्त संचालक.

(435)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./ओ.जी.सी.एस./2013/1473.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/694, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा परिसमापित श्री सावलिया फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आलनिया (मांगरोल), जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/765, दिनांक 10 अक्टूबर, 2001 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री जे. सी. जौनवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित श्री सावलिया फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आलनिया (मांगरोल), जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/765, दिनांक 10 अक्टूबर, 2001 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(402)

रतलाम, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./ओ.जी.सी.एस./2013/1474.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/1049, रतलाम, दिनांक 26 जुलाई, 2013 के द्वारा परिसमापित प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेमलिया, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/374, दिनांक 10 जुलाई, 1985 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. नान्देचा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेमलिया, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/374, दिनांक 10 जुलाई, 1985 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(402-A)

रतलाम, दिनांक 17 फरवरी, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./बहुउद्देशीय/2014/189.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/654, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा माँ कवलका महिला बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, गडावदिया, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/862, दिनांक 31 मार्च, 2009 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ कवलका महिला बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, गडावदिया, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(402-B)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज़, जिला शहडोल

शहडोल, दिनांक 11 मार्च, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत)

क्र./परि./2014/232.—जिले में स्थित न्यायिक साख सहकारी समिति मर्यादित, शहडोल, तहसील सोहागपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 824, दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम, 1960 की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी, लेनदारी का निपटारा किया जाकर

संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी, देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, बुन्देल सिंह परते, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् न्यायिक साख सहकारी समिति मर्यादित, शहडोल, तहसील सोहागपुर, जिसका पंजीयकन क्रमांक 824, दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 का पंजीयन रद्द करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(403)

शहडोल, दिनांक 11 मार्च, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत)

क्र./परि./2014/233.—जिले में स्थित गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बुड़वा, जिसका पंजीयन क्रमांक 08, दिनांक 20 मार्च, 1956 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी, लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी, देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, बुन्देल सिंह परते, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बुड़वा, जिसका पंजीयन क्रमांक 08, दिनांक 20 मार्च, 1956 का पंजीयन रद्द करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया है.

बुन्देल सिंह परते,
उप-रजिस्ट्रार.

(403-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

महावीर प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्यादित, राणापुर, तहसील राणापुर, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक/980, दिनांक 18 अगस्त, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/567, दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404)

आजाद प्रा. सह. उप-भण्डार मर्यादित, राजापुर, तहसील राणापुर, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक/1018, दिनांक 16 मई, 2007 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/567, दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(404-A)

अलअमीन मुर्गी पालन मर्यादित, राणापुर, तहसील राणापुर, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक/969, दिनांक 10 अक्टूबर, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/567, दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बबलू सातनकर,
उप-पंजीयक.

(404-B)

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इंदौर, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/1448.—भारत सेवक समाज द्वारा निर्मित मालवीय नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्र.डी.आर.आय.डी.आर./304, दिनांक 23 मई, 1981 को आदेश क्रमांक/1742, दिनांक 26 अप्रैल, 2005 से परिसमापन में लाया जाकर एवं संशोधित आदेश से श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक को परिसमापक बनाया गया.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी. सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था का उद्देश्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है. संस्था का अंकेक्षण न होने से परिसमापन में लाया गया था. अत: उद्देश्य पूर्ण करने के लिये संस्था को पुनर्जीवित किया जाये, परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.

परिसमापक के आवेदन अनुसार संस्था के कार्यालय पर आयोजित की गयी एवं संस्था को परिसमापन से मुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया. जोकि संस्था के सदस्यों द्वारा भी पारित किया गया था. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जावे.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत भारत सेवक समाज द्वारा निर्मित मालवीय नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन क्रमांक/डी. आर./आय.डी.आर./304, दिनांक 23 मई, 1981 का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये संस्था सदस्य श्री ओमप्रकाश पिता छोगालाल एवं श्री जगदीशचन्द्र पिता माधवदास को संस्था की दो सदस्यीय कमेटी नियुक्त करता हूँ और उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये निर्धारित प्रारूप में कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(415)

इंदौर, दिनांक 21 मई, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./14/1881.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत फोटोग्राफर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./आय.डी.आर./380, दिनांक 03 अगस्त, 1984 है, द्वारा सहकारी संस्थाएं अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ठहराव-प्रस्ताव पारित कर संस्था अकार्यशील होने से पंजीयन निरस्त हेतु पत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया है. कार्यालय द्वारा संस्था को कारण बताओ पत्र क्रमांक/परिसमापन/1701, दिनांक 29 अप्रैल, 2014 से नोटिस जारी किया. परन्तु संस्था द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाँ जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह/एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, जगदीश कनोज, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर फोटोग्राफर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सुश्री निधि भदौरिया, C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त.

(415-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

गुना, दिनांक 27 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/599.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/............, दिनांक............ से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सानई, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 795, दिनांक 10 अप्रैल, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1099, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री आर. सी. जाटव, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, सी.पी. एस. भदौरिया, उप-पंजयीक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सानई, पंजीयन क्रमांक 795, दिनांक 10 अप्रैल, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(416)

गुना, दिनांक 27 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/601.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/............, दिनांक............ से शक्ति पुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित हाडा डुमासरा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 1014, दिनांक 26 अप्रैल, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/177, दिनांक 16 फरवरी, 2012 से श्री जी. के. वास्त्री, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अत: मैं, सी.पी. एस. भदौरिया, उप-पंजयीक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये शक्ति पुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित हाडा डुमासरा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 1014, दिनांक 26 अप्रैल, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(416-A)

गुना, दिनांक 27 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/602.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/............, दिनांक............ से प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित खैराई, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 665, दिनांक 18 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1197, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री जी. के. वास्त्री, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अत: मैं, सी.पी. एस. भदौरिया, उप-पंजयीक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित खैराई, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 665, दिनांक 18 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(416-B)

गुना, दिनांक 27 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/603.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/............, दिनांक............ से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खगवारी का पुरा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 762, दिनांक 30 मार्च, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1099, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री आर. सी. जाटव, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अत: मैं, सी.पी. एस. भदौरिया, उप-पंजयीक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खगवारी का पुरा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 762, दिनांक 30 मार्च, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(416-C)

गुना, दिनांक 27 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/604.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/............, दिनांक............ से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भोगीपुरा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 770, दिनांक 30 मार्च, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत

परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/........, दिनांक .... से श्री एम. एल. तरवारिया, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अत: मैं, सी.पी. एस. भदौरिया, उप-पंजयीक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भोगीपुरा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 770, दिनांक 30 मार्च, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(416-D)

गुना, दिनांक 27 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/605.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/............, दिनांक............ से प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित सहरोक, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 664, दिनांक 18 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1197, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री जी. के. वास्त्री, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अत: मैं, सी.पी. एस. भदौरिया, उप-पंजयीक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित सहरोक, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 664, दिनांक 18 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(416-E)

गुना, दिनांक 27 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/606.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/............, दिनांक............ से प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित आनंदपुर, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 18 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1197, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री जी. के. वास्त्री, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अत: मैं, सी.पी. एस. भदौरिया, उप-पंजयीक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित आनंदपुर, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 18 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(416-F)

गुना, दिनांक 27 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/607.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/165, दिनांक 19 फरवरी, 2010 से नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्यादित गुना, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 505, दिनांक 06 जनवरी, 1977 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/........, दिनांक........... से श्री विजय गुप्ता, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अत: मैं, सी.पी. एस. भदौरिया, उप-पंजयीक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्यादित गुना, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 505, दिनांक 06 जनवरी, 1977 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(416-G)

गुना, दिनांक 27 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/608.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/132, दिनांक 31 जनवरी, 2007 से प्रजापति उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित गुना, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 576, दिनांक 13 मार्च, 1977 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/........, दिनांक............... से श्री विजय गुप्ता, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अत: मैं, सी.पी. एस. भदौरिया, उप-पंजयीक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रजापति उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित गुना, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 576, दिनांक 13 मार्च, 1977 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

सी. पी. एस. भदौरिया,
उप-पंजीयक.

(416-H)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 18 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/432.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1350, दिनांक 27 अक्टूबर, 1960 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरदागुर्जर, जिसका पंजीयन क्रमांक 648, दिनांक 13 मार्च, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधीर जैन, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मांझी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 376, दिनांक 27 अगस्त, 1975 आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर श्री अभय निगम, उप-अंकेक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की निष्क्रियता व अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की हैं.

अत: सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मांझी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन पंजीयन क्रमांक 376, दिनांक 27 अगस्त, 1975 को इस शर्त पर पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंध समिति का आगामी निर्वाचन होने तक सहकारिता विस्तार अधिकारी, उज्जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-A)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/637.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1484, दिनांक 30 जुलाई, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़गांव, तहसील महिदपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 793, दिनांक 29 अप्रैल, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-B)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/638.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा मिलन महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नागझिरी, तहसील नागदा जिसका पंजीयन क्रमांक 1621, दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-C)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/639.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिम्बापिपलिया, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 875, दिनांक 26 जुलाई, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-D)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/640.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1484, दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसूड़िया, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 546, दिनांक 30 जून, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-E)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/641.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1484, दिनांक 30 जुलाई, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., केसवाल, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 27 जनवरी 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-F)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/642.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा माँ सतेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतनियाखेड़ी, तहसील नागदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1657, दिनांक 18 फरवरी, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-G)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/643—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा जय माँ भवानी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा नजीक, तह. नागदा, जिसका पंजीयन क्रमांक1682, दिनांक 10 फरवरी, 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-H)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/644.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1484, दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुपड़ावदा, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1724, दिनांक 20 मई, 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-I)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1484, दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खरसौदकला, जिसका पंजीयन क्रमांक 775, दिनांक 24 मार्च, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री नरसिंह कनेल, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-J)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खजुरिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 638, दिनांक 24 जनवरी, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-K)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/432.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हमीरखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 876, दिनांक 26 जुलाई, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-L)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत पार्श्वनाथ साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 100, दिनांक 16 जुलाई, 2008 को अंकेक्षण एवं व्यापर की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण आदेश क्रमांक 3089, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर श्री सी. एस. असोड़िया, सहकारी निरीक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

अत: सहकारिता के सिद्वातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/3089, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत पार्श्वनाथ साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 100, दिनांक 16 जुलाई, 2008 को इस शर्त पर पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंध समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक, को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-M)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सर्वोदय मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., मालीखेड़ी, विकासखण्ड खाचरोद, जिसका पंजीयन क्रमांक 1555, दिनांक 18 अप्रैल, 2001 आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर श्री अभय निगम, उप-अंकेक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की निष्क्रियता व अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है. जिसमें संस्था को कार्यशील बताया गया है.

अत: सहकारिता के सिद्वातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत सर्वोदय मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., मालीखेड़ी, विकासखण्ड खाचरोद, जिसका पंजीयन क्रमांक 1555, दिनांक 18 अप्रैल, 2001 को इस शर्त पर पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंध समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री अभय निगम, उप-अंकेक्षक, को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-N)

उज्जैन, दिनांक 29 मार्च, 2014

क्र./परि./2014/816.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तोबड़ीखेड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 487, दिनांक 25 अगस्त, 1980 को अंकेक्षण एवं व्यापार की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण आदेश क्रमांक 2409, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है

अत: सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/3089, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तोबड़ीखेड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 487, दिनांक 25 अगस्त, 1980 को इस शर्त पर पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंध समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री संतोष सांकलिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, तराना को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-O)

उज्जैन, दिनांक 28 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/962.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1113, दिनांक 01 जून, 2012 द्वारा कृषिधन बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 80, दिनांक 04 मार्च, 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-P)

उज्जैन, दिनांक 28 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/963.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1113, दिनांक 01 जून, 2012 द्वारा जय सुर्याय नम: साख सहकारिता मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 21, दिनांक 28 मार्च, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-Q)

उज्जैन, दिनांक 28 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/964.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1113, दिनांक 01 जून, 2012 द्वारा अवंतिका साख सहकारिता मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 02, दिनांक 29 दिसम्बर, 2000 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-R)

उज्जैन, दिनांक 28 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/965.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 90, दिनांक 16 जनवरी, 2008 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बीराखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 696, दिनांक 31 जनवरी 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-S)

उज्जैन, दिनांक 26 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/738.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कल्याणपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 382, दिनांक 20 अगस्त, 1976 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-T)

उज्जैन, दिनांक 26 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/739.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उपड़ीराव जिसका पंजीयन क्रमांक 1518, दिनांक 10 मई, 2000 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-U)

उज्जैन, दिनांक 26 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/740.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोमल्या नसर, जिसका पंजीयन क्रमांक 381, दिनांक 20 अगस्त, 1976 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-V)

उज्जैन, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/811.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मीण, तह. घट्टिया जिसका पंजीयन क्रमांक 734, दिनांक 13 मार्च, 1986 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-W)

उज्जैन, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/812.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलेसर, तह. घट्टिया जिसका पंजीयन क्रमांक 552, दिनांक 30 जून, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-X)

उज्जैन, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/813.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बमोरी,. तह. घट्टिया जिसका पंजीयन क्रमांक 736, दिनांक 28 अप्रैल, 1986 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-Y)

उज्जैन, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/815.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा चेतना हरिजन मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., साहिबखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1436, दिनांक 04 नवम्बर, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अभय निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(417-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा खुशबु मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., अम्बोदिया, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1672, दिनांक 21 अप्रैल, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. के. निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(418)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 5625, दिनांक 01 सितम्बर, 1967 द्वारा आदर्श चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नीमनवांसा, जिसका पंजीयन क्रमांक 72, दिनांक 10 फरवरी, 1961 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एल. मन्सौरे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(418-A)

उज्जैन, दिनांक 18 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/434.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3025, दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवाखेड़ा पिपल्याराघव, जिसका पंजीयन क्रमांक 250, दिनांक 07 अप्रैल, 1966 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनायक राजुरकर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(418-B)

उज्जैन, दिनांक 18 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/435.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2409, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बान्दका,

जिसका पंजीयन क्रमांक 853, दिनांक 26 जुलाई, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. एस. बाल्के, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(418-C)

उज्जैन, दिनांक 18 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/436.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2409, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रलायताहेवत, जिसका पंजीयन क्रमांक 632, दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. एस. बाल्के, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(418-D)

उज्जैन, दिनांक 18 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/437.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2409, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कामदी कराड़िया, जिसका पंजीयन क्रमांक 840, दिनांक 31 मार्च, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. एस. बाल्के, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(418-E)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1507, उज्जैन, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इन्दौर बैंक एम्पलाईज सह. साख संस्था मर्या., उज्जैन	1080/01-05-1993	1507/05-07-2013
2.	सदभावना परस्पर साख सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1505/26-04-1999	1507/05-07-2013
3.	गौतम साख सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1379/01-04-1995	1507/05-07-2013
4.	क्षिपा साख सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1139/13-02-1995	1507/05-07-2013
5.	श्री कायस्थ साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1680/10-11-2005	1507/05-07-2013
6.	सर्वे हितकारी साख सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1380/13-02-1995	1507/05-07-2013

अत: मैं, श्रीमती स्वर्णलता कुशवाह, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, सम्भांग उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी है.

स्वर्णलता कुशवाह,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(419)

कार्यालय परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/3089, उज्जैन, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री देवनारायण क्रेडिट सहकारिता मर्यादित, उज्जैन	146/08-07-2011	3089/18-12-2013
2.	इण्डियन क्रेडिट सहकारिता मर्यादित, उज्जैन	86/29-05-2007	3089/18-12-2013
3.	माँ लक्ष्मी साख सहकारिता मर्या., उज्जैन	143/08-07-2011	3089/18-12-2013
4.	उज्जैन जिला अभिभाषक साख सहकारिता मर्या., उज्जैन	06/06-01-2001	3089/18-12-2013

अत: मैं, पुरूषोत्तम सोनी, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

पुरूषोत्तम सोनी,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(420)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/3089, उज्जैन, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शुभम् बीज उत्पादन सहकारिता मर्यादित, उज्जैन	123/18-05-2010	3089/18-12-2013
2.	पार्श्वनाथ साख सहकारिता मर्यादित, उज्जैन	100/16-07-2008	3089/18-12-2013
3.	राधेकृष्ण साख सहकारिता मर्यादित, उज्जैन	102/27-08-2008	3089/18-12-2013
4.	स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी साख सहकारिता मर्यादित, उज्जैन	95/29-05-2008	3089/18-12-2013

अत: मैं, सी. एस. आसोड़िया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

सी. एस. आसोड़िया,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(421)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 15 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1507, उज्जैन, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	छत्रपति शिवाजी साख संस्था मर्या., उज्जैन	363/26-11-2003	1507/05-07-2013
2.	संत अमरदास साख संस्था मर्या., उज्जैन	1637/19-02-2004	1507/05-07-2013
3.	प्रीमियर साख संस्था मर्या., उज्जैन	605/05-05-1983	1507/05-07-2013
4.	नवचेतना सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	955/16-01-1991	1507/05-07-2013
5.	आयकर कर्मचारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	1058/06-10-1992	1507/05-07-2013

अतः मैं, हेमलता चंदेल, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, सम्भांग उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 15 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

हेमलता चंदेल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(422)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 30 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1250, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के द्वारा पानी पंचायत सहकारी संस्था मर्या., गोलागुठान, तहसील खातेगाँव, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1216, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संजय देवलालीकर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता, विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(423)

देवास, दिनांक 7 फरवरी, 2014

क्र./परि./2014/462.—संकटमोचन फल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुमारियाराव, जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./960, दिनांक 11 जुलाई, 2001 है तहसील सोनकच्छ, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दन्देलिया, सहकारी निरीक्षक को संशोधित आदेश क्रमांक 876, दिनांक 20 अप्रैल, 2010 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 24 जून, 2013 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास (मध्यप्रदेश) शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक / एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संकटमोचन फल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुमारियाराव, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(423-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1),(2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2824, दिनांक 28 नवम्बर, 2013 के द्वारा अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवगढ़, तहसील बागली, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1351, दिनांक 08 अगस्त, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता, विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(423-B)

देवास, दिनांक 19 फरवरी, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

जय किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जानसूर, तहसील सतवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1360, दिनांक 08 अगस्त, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 158, दिनांक 13 जनवरी, 2014, को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रति उत्तर देने हेतु दिनांक 12 फरवरी, 2014 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक/जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आई. एम. कुरेशी, (C.I.) सहकारी निरीक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री आई. एम. कुरेशी, (C.I.) सहकारी निरीक्षक, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(423-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./उपछि./परि./2014/457—प्रभारी क्षे. सं. दुग्ध सहकारी संघ जबलपुर, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि, निम्न दुग्ध सहकारी संस्थाएं अकार्यशील एवं बंद हैं, उनके द्वारा आमसभा नहीं कराई गई है. इन संस्थाओं के अकार्यशील एवं बंद रहने से कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा द्वारा इन्हें परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है. संस्थायें निम्नानुसार हैं:—

क्र. (1)	नाम समिति (2)	पंजीयन क्रमांक (3)	दिनांक (4)	विकासखण्ड (5)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सारोठ	310	/25-09-1991	मोहखेड़
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समसवाड़ा	461	20-12-1994	चौरई
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरोरा	312	25-09-1991	मोहखेड़
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नेर	458	08-12-1994	छिन्दवाड़ा
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घोघरी	495	29-03-1995	अमरवाड़ा
6.	तालपिपरिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तालपिपरिया	583	17-06-1998	परासिया
7.	काराघाट कामठी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., काराघाट कामठी	715	20-11-2009	पाण्ढुर्णा
8.	कौड़िया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कौड़िया	720	21-12-2009	पाण्ढुर्णा
9.	पाठई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाठई	721	21-12-2009	पाण्ढुर्णा
10.	मरकावाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मरकावाड़ा	724	21-05-2010	अमरवाड़ा
11.	खुटियाढ़ाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुटियाढ़ाना	725	21-05-2010	अमरवाड़ा
12.	सोनपठार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनपठार	753	15-02-2011	पाण्ढुर्णा
13.	पटपड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटपड़ा	765	22-11-2011	परासिया
14.	पुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पुरा	771	01-03-2012	परासिया
15.	बादगांव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बादगांव	778	16-03-2012	चौरई
16.	ठिसगोरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ठिसगोरा	780	16-03-2012	परासिया
17.	नरसला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरसला	789	28-04-2012	पाण्ढुर्णा
18.	सेंदुरजना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेंदुरजना	791	28-04-2012	पाण्ढुर्णा
19.	बाबई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बाबई	793	28-04-2012	अमरवाड़ा
20.	पिपरिया राजगुरू दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरिया राजगुरू	794	28-04-2012	अमरवाड़ा
21.	पलटवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पलटवाड़ा	795	28-04-2012	परासिया
22.	हर्राहेट दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हर्राहेट	796	28-04-2012	परासिया
23.	श्री हिंगलाज बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित शीलादेही	875	10-01-2014	परासिया

अत: मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उपरोक्त समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्तानुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, अत: क्यों न संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें, यदि संस्था इस सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन चाहती है. तो वह इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. यदि संस्था ने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, तदानुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एम. पी. चक्रवर्ती,
उप-पंजीयक.

(424)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/372, दिनांक 24 जुलाई, 2012 द्वारा अम्बे महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., मानपुर, जिला उमरिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 64, दिनांक 26 जून, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मानपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जे. एस. परस्ते,सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के तहत् एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निगम निकाय/बॉडी कॉरपोरेट समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 16 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(425)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/61, दिनांक 14 फरवरी, 2012 द्वारा महाबीर बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., मानपुर, जिला उमरिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 62, दिनांक 21 जून, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मानपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जे. एस. परस्ते, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के तहत् एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निगम निकाय/बॉडी कॉरपोरेट समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 16 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जे. एस. परस्ते,
सहायक-पंजीयक.

(425-A)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 03 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1069.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम द्वारा निम्न आदेश क्र.एवं दिनांक के तहत परिसमापनाधीन सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जैन सौभाग्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रतलाम	398/25-04-1986	878/11-06-2013
2.	मेमुना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतलाम	21/30-04-2003	751/02-05-2009
3.	भोले साख सहकारी संस्था मर्या., रतलाम	04/07-01-2002	529/29-04-2008

अत: मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उपरोक्त समस्त संस्थाओं के क्रमश: लेनदारों/देनदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उनकी सम्बन्धित संस्था की कोई भी लेनदारी/देनदारी हो तो इस सूचना-पत्र के प्रकाशन से दो माह (60 दिवस) की अवधि में अपनी लेनदारी-देनदारी का दावा (क्लेम) मय-प्रमाण के मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय

उपायुक्त सहकारिता हाकिमबाड़ा, रतलाम में कार्यालयीन समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. समयावधि के बाद कोई दावा स्वीकार करने योग्य नहीं होगा तथा परिसमापक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी.

सूचना आज दिनांक 03 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एन. के. नान्देचा,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(426)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 30 अप्रैल, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/365.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/200, रतलाम, दिनांक 16 जनवरी, 2013 के द्वारा साँवरिया हरिजन बुनकर सहकारी सोसायटी मर्यादित, पंचेड, जिला रतलाम का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. कुमावत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए साँवरिया हरिजन बुनकर सहकारी सोसायटी मर्यादित, पंचेड, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427)

रतलाम, दिनांक 30 अप्रैल, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./साख/2014/366.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/1134, रतलाम, दिनांक 24 अगस्त, 2013 के द्वारा महालक्ष्मी महिला साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम का परिसमापन किये जाने हेतु श्री जे. सी. जौनवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महालक्ष्मी महिला साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-A)

रतलाम, दिनांक 30 अप्रैल, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./साख/2014/367.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/706, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा अर्द्व शासकीय शिक्षक कर्मचारी साख सोसायटी मर्यादित, रतलाम का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. वर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अर्द्ध शासकीय शिक्षक कर्मचारी साख सोसायटी मर्यादित, रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-B)

रतलाम, दिनांक 30 अप्रैल, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./साख./2014/368.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/685, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा प्राथमिक जनता साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. वर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक जनता साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-C)

रतलाम, दिनांक 06 मई, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/397.—परिसमापित कालीदास गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) के परिसमापक श्री एन. के. अडानिया द्वारा अपने पत्र दिनांक 28 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था के सदस्यों एवं पूर्व पदाधिकारियों द्वारा सोसायटी को पुनर्जीवित करने का निवेदन किया गया है. परिसमापक द्वारा अपने पत्र के साथ सोसायटी की वार्षिक आमसभा दिनांक 02 फरवरी, 2014 का कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है. जिसके प्रस्ताव ठहराव क्रमांक-2 अनुसार सोसायटी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है. सोसायटी की आमसभा के द्वारा पारित ठहराव एवं परिसमापक की अनुसंशा के अनुक्रम में मेरी राय में यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि संस्था के विकास कार्यों एवं सदस्यों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण प्रजातांत्रिक स्वरूप से किया जाने हेतु संस्था का परिसमापन समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालीदास गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम का परिसमापन समाप्त करते हुए संस्था को पुनर्जीवित किया जाता है एवं संस्था के कामकाज हेतु निम्नानुसार तदर्थ कमेटी तीन माह के लिए नियुक्त की जाती है :—

1.	श्री महेश चन्द्र शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	उपाध्यक्ष

3. श्री दीपक कुमार शर्मा सदस्य

4. श्री शिवेन्द्रसिंह सौलंकी सदस्य

5. श्रीमती हाजीरा बानु सदस्य

उपर्युक्तानुसार नियुक्त तदर्थ कमेटी इस आदेश के जारी होने के तीन माह के अन्दर निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन का प्रस्ताव मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण तिलहन संघ भवन, 1-अरेरा हिल्स, भोपाल को कमेटी के प्रस्ताव, ठहराव एवं चार माह के पूर्व की स्थिति पर सदस्यता सूची एवं संस्था के पंजीकृत उपविधि की प्रमाणित प्रति सहित एक माह की समय-सीमा में प्रेषित करें एवं उसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को दी जावे.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-D)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री महेश व्यास,
अध्यक्ष,
पुष्करना दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित पलसोडा,
तह. व जिला रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/442.—पुष्करना दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी, मर्यादित पलसोडा, तह. व जिला रतलाम में अपने रजिस्ट्रीकरण, दिनांक से आज दिनांक तक कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुष्करना दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित पलसोडा, तहसील व जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओं सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-E)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,
प्रयास साख सहकारी सोसायटी मर्यादित जावरा,
जिला रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/443.—कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/41,

रतलाम, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 से प्रयास साख सहकारी सोसायटी मर्यादित जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) के अकार्यशील होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रयास साख सहकारी सोसायटी मर्यादित जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-F)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

रतलाम नमकीन सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/444.—कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/41, रतलाम, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 से रतलाम नमकीन सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) के अकार्यशील होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम नमकीन सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-G)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

विश्व माता बीजा उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, बडायला मातजी,

तह. पिपलोदा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/445.—कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/41, रतलाम, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 से विश्व माता बीजा उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, बडायला मातजी, तह. पिपलोदा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) के अकार्यशील होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्व माता बीजा उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, बड़ायला मातजी, तह. पिपलोदा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अतः क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-H)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

सुभाष गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/446.—कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/41, रतलाम, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 से सुभाष गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) के अकार्यशील होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुभाष गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अतः क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-I)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

नगर पालिका कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/447.—कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/41, रतलाम, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 से नगर पालिका कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) के अकार्यशील होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अतः क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-J)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महात्मा गाँधी बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/448.—कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/41, रतलाम, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 से महात्मा गाँधी बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) के अकार्यशील होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महात्मा गाँधी बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-K)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महावीर बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/449.—कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/41, रतलाम, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 से महावीर बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) के अकार्यशील होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महावीर बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-L)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री तोफान सिंह,

अध्यक्ष,

चम्बल बीज उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, आलोट,

जिला रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/450.—चम्बल बीज उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) द्वारा अपने आमसभा दिनांक 06 मार्च, 2012 में ठहराव किया है, कि सोसायटी को अपने कार्य करने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं एवं पूँजी के अभाव में सोसायटी का चलाना मुश्किल हो रहा है. अत: सोसायटी को बन्द किये जाने का संकल्प पारित किया है. सोसायटी के संकल्प से स्पष्ट है, कि सोसायटी के सदस्यों द्वारा सोसायटी का संचालन नहीं होने के कारण सोसायटी को बन्द करने एवं आगामी कार्यवाही हेतु उप-पंजीयक, सहकारी समितियां को निवेदन किया गया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-1 के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए चम्बल बीज उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, आलोट, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी द्वारा आमसभा दिनांक 06 मार्च, 2012 के संकल्प अनुसार क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-M)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

सिखवाल श्रृंग समाज साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/451.—कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/41, रतलाम, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 से सिखवाल श्रृंग समाज साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) के अकार्यशील होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिखवाल श्रृंग समाज साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-N)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, डोडियाना,

तह. जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/452.—कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/41,

रतलाम, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 से दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, डोडियाना, तह. जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) के अकार्यशील होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, डोडियाना, तह. जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-O)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, गुर्जर बर्डिया,

तह. जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/453.—कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/41, रतलाम, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 से दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, गुर्जर बर्डिया, तह. जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) के अकार्यशील होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, गुर्जर बर्डिया, तह. जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-P)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, सादाखेडी,

तह. जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/454.—कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/41, रतलाम, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 से दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, सादाखेडी, तह. जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) के अकार्यशील होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, सादाखेडी, तह. जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-Q)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

कम्बल बुनकर सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/455.—कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/41, रतलाम, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 से कम्बल बुनकर सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) के अकार्यशील होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्बल बुनकर सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(427-R)

रतलाम, दिनांक 23 मई, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

अनामिका नमकीन सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश).

क्र./परि./2014/456.—कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/41, रतलाम, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 से अनामिका नमकीन सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) के अकार्यशील होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी ने अपना कार्य करना बन्द कर दिया है. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनामिका नमकीन सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी ने अपना कार्य बन्द कर दिया है. अत: क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(427-S)

कार्यालय परिसमापक एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 19 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञाप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक/विपणन/ते.प्र./96/2690, दिनांक 12 सितम्बर, 1996 के द्वारा क्षेत्रीय सोयाबीन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 176, दिनांक 23 जून, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन को परिसमापक नियुक्त किया है.

अत: मैं, व्ही. पी. मारण, परिसमापक एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, प्रमाणक, रजिस्टर्स, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त दस्तावेज, सम्पत्ति होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 19 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

व्ही. पी. मारण,
परिसमापक एवं संयुक्त पंजीयक.

(428)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1026.—निम्नानुसार सूची के कालम क्रमांक-2 में उल्लेखित सहकारी संस्थाओं को अधिनियम की धारा-69 (3) अन्तर्गत उनके समक्ष कालम क्रमांक 4 में दर्शित जारी कार्यालयीन सूचना-पत्रों के द्वारा संस्था के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य करने, उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रहने, अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन बंद कर दिये जाने, संस्था के संचालक मंडल द्वारा संस्था की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाने, संस्था के विगत वर्षों से अकार्यशील होने एवं प्रावधानों के अनुरूप नियत समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन में असफल रहने के कारणों के आधार पर सूचना-पत्र जारी किया जाकर तीन सप्ताह में जबाब चाहा गया था. किन्तु उक्त संस्थाओं द्वारा आज दिनांक तक तत्संबंध में कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए सूची में उल्लेखित संस्थाओं को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उनके समक्ष कालम क्रमांक 5 में उल्लेखित विभागीय कार्यपालिक अधिकारियों को समापक नियुक्त करता हूँ.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	सूचना पत्र का क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	प्राथमिक विपणन सहकारी समिति मर्या., रामपुर नैकिन.	AR/SDH/715/15-10-1996	693/22-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
2.	प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., मझौली.	DR/SDH/786/02-09-2000	692/22-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
3.	शिक्षक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सीधी.	DR/SDH/876/14-08-2002	707/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
4.	कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सीधी.	AR/SDH/379/26-11-1979	708/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
5.	अध्यापक साख सहकारी समिति मर्या., सीधी.	AR/SDH/381/18-12-1980	709/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अकौरी.	AR/SDH/670/06-11-1993	710/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
7.	गीता दुग्ध उत्पादक एवं पशु नस्ल विकास सहकारी समिति मर्या., सपही.	AR/SDH/398/12-05-1981	711/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
8.	ज्योति दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., मवई.	AR/SDH/462/21-03-1986	712/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मडवा.	DR/SDH/922/08-10-2003	713/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिठौली.	DR/SDH/1131/20-07-2010	714/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बघौड़ी.	DR/SDH/1132/20-7-2010	715/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

1	2	3	4	5
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुटेली.	DR/SDH/1144/28-8-2010	716/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
13.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनहा.	DR/SDH/1164/13-09-2010	717/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
14.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहनी.	DR/SDH/1165/13-09-2010	718/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
15.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरोहर.	DR/SDH/1170/16-09-2010	719/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
16.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चंदवाही.	DR/SDH/1172/21-09-2010	720/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
17.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरहा.	DR/SDH/1173/21-09-2010	721/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
18.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हनुमानगढ़.	DR/SDH/1174/21-09-2010	722/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
19.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोठार.	DR/SDH/1175/21-09-2010	723/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
20.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरही.	DR/SDH/1184/22-09-2010	724/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
21.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ओबरहा.	DR/SDH/1215/05-10-2010	725/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
22.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटेहरा कला.	DR/SDH/1216/05-10-2010	726/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता , सहकारी निरीक्षक.
23.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बघऊ.	DR/SDH/1218/18-10-2010	727/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
24.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सहजी.	DR/SDH/1219/18-10-2010	728/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
25.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महराजपुर.	DR/SDH/1221/18-10-2010	729/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
26.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर.	DR/SDH/1222/18-10-2010	730/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
27.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झगरहा.	DR/SDH/1223/18-10-2010	731/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
28.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरही.	DR/SDH/1224/18-10-2010	732/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
29.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तेंदुआ.	DR/SDH/1225/18-10-2010	733/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

1	2	3	4	5
30.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोदारी टोला.	DR/SDH/1226/25-10-2010	734/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
31.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझौली.	DR/SDH/1227/25-10-2010	735/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.
32.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कशिहवा.	DR/SDH/1229/25-10-2010	736/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
33.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करगिल.	DR/SDH/1230/25-10-2010	737/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
34.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बघवारी.	DR/SDH/1231/29-10-2010	738/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
35.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सारोकलॉं.	DR/SDH/1232/29-10-2010	739/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
36.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चितवरिया.	DR/SDH/1235/11-11-2010	740/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
37.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शैरपुर.	DR/SDH/1236/11-11-2010	741/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
38.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शरदा.	DR/SDH/1237/11-11-2010	742/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
39.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बनियाटोला.	DR/SDH/1239/11-11-2010	743/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.
40.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिरौला.	DR/SDH/1240/11-11-2010	744/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.
41.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुडहेरिया.	DR/SDH/1241/11-11-2010	745/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.
42.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जोगी बहरा.	DR/SDH/1242/11-11-2010	746/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.
43.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिरसी.	DR/SDH/1243/11-11-2010	747/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
44.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुडुआधार.	DR/SDH/1244/11-11-2010	748/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.
45.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ठाडीपाथर.	DR/SDH/1245/11-11-2010	749/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.
46.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर (रा. नै.).	DR/SDH/1246/11-11-2010	750/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
47.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कमछ.	DR/SDH/1247/11-11-2010	751/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.

1	2	3	4	5
48.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टमसार.	DR/SDH/1248/11-11-2010	752/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.
49.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोखडौर.	DR/SDH/1250/11-11-2010	753/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
50.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चकडौर.	DR/SDH/1252/11-11-2010	754/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
51.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करवाही.	DR/SDH/1253/11-11-2010	755/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.
52.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छवारी.	DR/SDH/1254/11-11-2010	756/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.
53.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवगढ.	DR/SDH/1255/11-11-2010	757/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
54.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनौली.	DR/SDH/1256/18-11-2010	758/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
55.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमचौरा.	DR/SDH/1257/18-11-2010	759/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
56.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चंदोहीडोल.	DR/SDH/1258/18-11-2010	760/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
57.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनवर्षा.	DR/SDH/1259/18-11-2010	761/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
58.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तितली.	DR/SDH/1260/18-11-2010	762/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
59.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भेलकी (गो. ब.)	DR/SDH/1261/18-11-2010	763/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
60.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डिहुली.	DR/SDH/1262/18-11-2010	764/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
61.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलहा.	DR/SDH/1263/18-11-2010	765/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
62.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घोघरा.	DR/SDH/1264/18-11-2010	766/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
63.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बल्हया.	DR/SDH/1265/18-11-2010	767/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
64.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनतीर पढेहरा.	DR/SDH/1266/18-11-2010	768/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
65.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विजयपुर.	DR/SDH/1267/18-11-2010	769/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

1	2	3	4	5
66.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौगवा दर्शन सिंह.	DR/SDH/1268/18-11-2010	770/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
67.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडैनिया खुर्द.	DR/SDH/1269/18-11-2010	771/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
68.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिलवारी.	DR/SDH/1270/04-12-2010	772/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
69.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छुही.	DR/SDH/1271/04-12-2010	773/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
70.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गिजवार.	DR/SDH/1272/04-12-2010	774/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी सहकारी निरीक्षक.
71.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथरौही.	DR/SDH/1273/04-12-2010	775/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
72.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दुअराकलॉ.	DR/SDH/1274/04-12-2010	776/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
73.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सजवानीकलॉ.	DR/SDH/1275/04-12-2010	777/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
74.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खोरी.	DR/SDH/1276/04-12-2010	778/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
75.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमरपुर.	DR/SDH/1277/04-12-2010	779/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
76.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोखरा.	DR/SDH/1278/04-12-2010	780/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
77.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोंडी.	DR/SDH/1279/04-12-2010	781/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
78.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समरदह.	DR/SDH/1280/04-12-2010	782/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
79.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खोचीपुर.	DR/SDH/1281/04-12-2010	783/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
80.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ददरीखुर्द.	DR/SDH/1282/04-12-2010	784/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
81.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चितांग.	DR/SDH/1283/04-12-2010	785/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
82.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौती.	DR/SDH/1284/04-12-2010	786/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
83.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोपालपुर.	DR/SDH/1285/04-12-2010	787/23-10-2013	श्री राजेश कुमार निगम, उप-अंकेक्षक.

1	2	3	4	5
84.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोकरो.	DR/SDH/1286/04-12-2010	788/23-10-2013	श्री राजेश कुमार निगम, उप-अंकेक्षक.
85.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करौदिया.	DR/SDH/1287/04-12-2010	78923-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
86.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कठार.	DR/SDH/1289/04-12-2010	790/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
87.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जूरी.	DR/SDH/1290/04-12-2010	791/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
88.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रौहाल.	DR/SDH/1291/04-12-2010	792/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
89.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोठार.	DR/SDH/1292/04-12-2010	793/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
90.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भगवार.	DR/SDH/1293/04-12-2010	794/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
91.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भैसवाही.	DR/SDH/1294/04-12-2010	795/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.
92.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दरिमाडोल.	DR/SDH/1295/04-12-2010	796/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
93.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कतरवार.	DR/SDH/1296/04-12-2010	797/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
94.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाडा बबनसिंह कोटर खुर्द.	DR/SDH/1297/04-12-2010	798/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
95.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हस्तिनापुर.	DR/SDH/1298/04-12-2010	799/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
96.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तेगवा.	DR/SDH/1299/04-12-2010	800/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
97.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,गाडा खोह.	DR/SDH/1300/04-12-2010	801/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
98.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भमरहा.	DR/SDH/1301/04-12-2010	802/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
99.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुकवारी दक्षिण.	DR/SDH/1302/04-12-2010	803/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
100.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुश्परी.	DR/SDH/1303/04-12-2010	804/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
101.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जमोडी सेंगरान.	DR/SDH/1304/04-12-2010	805/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

1	2	3	4	5
102.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिशुनी टोला.	DR/SDH/1305/04-12-2010	806/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
103.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरियाकलॉं.	DR/SDH/1306/04-12-2010	807/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
104.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटौहा.	DR/SDH/1307/04-12-2010	808/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
105.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मधुगांव उत्तर.	DR/SDH/1308/04-12-2010	809/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
106.	आदिवासी कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., खैरही.	DR/SDH/868/30-07-2002	810/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
107.	राजगो मुर्गी पालन सहकारी समिति मर्या., गाडा बंजारी.	DR/SDH/945/23-02-2004	811/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
108.	शा. उ. म. छात्र सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सेमरिया.	AR/SDH/374/15-02-1977	812/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
109.	प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., चुरहट.	AR/SDH/345/26-03-1968	813/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
110.	प्राथमिक महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., राजगढ.	AR/SDH/753/18-11-1997	814/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
111.	ईंट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., दुधमनिया.	AR/SDH/640/23-03-1993	815/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
112.	प्रतिभा दरी बुनकर सहकारी समिति मर्या., तितली.	हाथकरघा 10/22-01-1998	816/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
113.	आदर्श कालीन उद्योग सहकारी समिति मर्या., बघवार.	AR/SDH/392/26-04-1981	817/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
114.	बीडी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चुरहट.	AR/SDH/388/18-03-1981	818/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
115.	सोनांचल कास्टकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., सीधी.	AR/SDH/611/05-07-1990	819/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
116.	प्राथमिक चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., लिलवार.	AR/SDH/774/11-10-1999	820/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
117.	महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., चकदहीरोड, सीधी.	DR/SDH/816/16-04-2001	821/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
118.	गायत्री ईंट निर्माण सहकारी समिति मर्या., सीधी.	DR/SDH/829/27-07-2001	822/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
119.	सिलाई कढाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., कुर्रवाह.	DR/SDH/866/19-07-2002	823/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

1	2	3	4	5
120.	नवोदय दरी बुनकर सहकारी समिति मर्या., हटवा.	हाथकरघा 09/22-01-1998	824/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
121.	प्राथमिक दरी बुनकर सहकारी समिति मर्या., कुसेडा.	DR/SDH/787/29-09-2000	825/23-10-2013	श्री बी. के. सौधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
122.	आदिवासी पिछड़ा वर्ग मछली पालन सहकारी समिति मर्या., ताला.	AR/SDH/718/03-08-1996	826/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
123.	आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., कुशमी.	AR/SDH/463/31-03-1986	827/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.
124.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पोखरा.	DR/SDH/824/12-07-2001	828/23-10-2013	श्री राजेश कुमार निगम, उप-अंकेक्षक.
125.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., हटवाखास.	DR/SDH/895/24-02-2003	829/23-10-2013	श्री राजेश कुमार निगम, उप-अंकेक्षक.
126.	मां दुर्गा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कारीमाटी.	DR/SDH/828/22-01-2001	830/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
127.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., झलवार.	DR/SDH/853/05-04-2002	831/23-10-2013	श्री राजेश कुमार निगम, उप-अंकेक्षक.
128.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पिपरोहर.	DR/SDH/845/31-12-2001	832/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
129.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., खडौरा.	DR/SDH/842/18-10-2001	833/23-10-2013	श्री राजेश कुमार निगम, उप-अंकेक्षक.
130.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कोदौरा.	DR/SDH/878/09-10-2012	834/23-10-2013	श्री राजेश कुमार निगम, उप-अंकेक्षक.
131.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., नौढिया.	DR/SDH/894/24-02-2003	835/23-10-2013	श्री राजेश कुमार निगम, उप-अंकेक्षक.
132.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., भदौरा.	DR/SDH/947/25-02-2004	836/23-10-2013	श्री आर. एन. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक.
133.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., चौफाल पवाई.	DR/SDH/1121/23-03-2010	837/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
134.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., चौफाल कोठार.	DR/SDH/1122/23-03-2010	838/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
135.	आदर्श ईंधन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., कोटहा.	AR/SDH/713/20-11-1995	839/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
136.	ईंधन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., खैरा बेलहा.	DR/SDH/975/19-11-2004	840/23-10-2013	श्री राजेश कुमार निगम, उप-अंकेक्षक.
137.	आदर्श ईंधन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., मझौली.	DR/SDH/862/16-07-2002	841/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

1	2	3	4	5
138.	महिला स्वयं समूह ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सीधी.	DR/SDH/861/16-07-2002	842/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
139.	प्राथमिक ईंधन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., गुलवासपुर.	DR/SDH/914/29-05-2003	843/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
140.	क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., करगिल.	DR/SDH/980/02-02-2005	844/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
141.	आदर्श महिला क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., रामपुर.	DR/SDH/1018/14-07-2005	845/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
142.	महिला क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., लालता चौक (बेलबाग) सीधी.	DR/SDH/1019/09-08-2005	846/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
143.	विजय महिला क्रय विक्रय उद्योग सहकारी समिति मर्या., बडखरा 739.	DR/SDH/1020/10-08-2005	847/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
144.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुबरी.	DR/SDH/877/24-09-2002	848/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
145.	प्राथमिक अल्पसंख्यक बहुउद्देशीय श्रमिक सहकारी समिति मर्या., सेमरिया.	AR/SDH/706/07-03-1995	849/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
146.	यातायात सहकारी समिति मर्या., खिरखोरी	AR/SDH/700/06-12-1994	850/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
147.	ओम स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग प्रेस उद्योग सहकारी समिति मर्या., सीधी.	AR/SDH/781/01-12-1999	851/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
148.	सब्यसांची रिक्शा चालक सहकारी समिति मर्या., सीधी.	DR/SDH/886/04-01-2003	852/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
149.	सीधी कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., सीधी.	DR/SDH/906/03-04-2003	853/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
150.	श्री विश्वकर्मा तकनीकी निर्माण सहकारी समिति मर्या., सीधी.	DR/SDH/789/13-10-2000	854/23-10-2013	श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
151.	प्राथमिक रेत ट्रक सहकारी समिति मर्या., जमोडी.	AR/SDH/644/19-10-1993	855/23-10-2013	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी.
152.	शिव शंकर साग भाजी सहकारी समिति मर्या., गेरूआ.	AR/SDH/722/31-10-1996	856/23-10-2013	श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
153.	चारूलता फल फूल उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., सीधी शहर.	AR/SDH/723/30-12-1996	857/23-10-2013	श्री एच. आर. पनिका, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
154.	राहुल फल फूल उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., घोघी.	DR/SDH/836/11-09-2001	858/23-10-2013	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

नरेश सिन्हा,
उप-रजिस्ट्रार.

(429)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 30 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौली, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./948, दिनांक 11 नवम्बर, 1994 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1781/दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. पुनः संशोधित आदेश क्र./परि./2013/808, दिनांक 2 जुलाई, 2013 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 नवम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(430)

खरगोन, दिनांक 30 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

नर्मदा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, मण्डलेश्वर, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./696, दिनांक 17 दिसम्बर, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1396/दिनांक 27 सितम्बर, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. पुनः संशोधित आदेश क्र./परि./2013/808, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 नवम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(430-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

सतपुड़ा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, उमरिया,

तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन.

क्र/परि./2014/06.—सतपुड़ा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, उमरिया, तहसील कसरावद, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1135, दिनांक 04 जून, 1997 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.

5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(433)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,

आदिवासी महिला मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, देवाडा,

तहसील-भगवानपुरा, जिला-खरगोन.

आदिवासी महिला मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, देवाडा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1172, दिनांक 31 मार्च, 1998 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.

5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(433-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री भगवानसिंह
अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,
बालिया जलाशय मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बालिया,
तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन.

बालिया जलाशय मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बालिया, तहसील-बड़वाह, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1395, दिनांक 03 सितम्बर, 2004 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(433-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री रूखडिया शिवराम
अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,
जय दुर्गा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बेगन्दी,
तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन.

जय दुर्गा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बेगन्दी, तहसील-कसरावद, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1434, दिनांक 03 अगस्त, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(433-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री रामलाल गेंदालाल,
अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,
एकता मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बामनपुरी
तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन.

एकता मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बामनपुरी, तहसील-बड़वाह, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1438, दिनांक 11 अगस्त, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(433-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री बडासिंह रामसिंह,
अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,
जय माँ नर्मदा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जिरभार,
तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन.

जय माँ नर्मदा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जिरभार,, तहसील-बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1484, दिनांक

23 मई, 2006 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(433-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री नानकराम बुदिया,
अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,
जय जलदेव मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा,
तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन.

जय जलदेव मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा, तहसील-कसरावद, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1482, दिनांक 14 अगस्त, 2006 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(433-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री महेन्द्रसिंह भदौरिया,
अध्यक्ष एवं समस्त संचालक,
रानी दुर्गावती मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, अहिरखेड़ा,
तहसील-भीकनगांव, जिला-खरगोन.

रानी दुर्गावती मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, अहिरखेड़ा, तहसील-भीकनगांव, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1496, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(433-G)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	306/14-10-1956	1656/08-11-2013

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 5 P.M. तक कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 08 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

विनीता सक्सेना,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(431)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जून, 2014-ज्येष्ठ 23, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 12 फरवरी, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, रीवा, शहडोल, जबलपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, रीवा में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला बुरहानपुर में फसल तुअर व बैतूल में गन्ना व हरदा में चना फसल की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12 फरवरी, 2014

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली, तिली अधिक. उड़द कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, मटर, जौ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर: 1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्देरी	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सोयाबीन, गेहूँ अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला गुना : 1. गुना 2. राघौगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, . .	7. पर्याप्त. 8. . .
जिला टीकमगढ़: 1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला छतरपुर : 1. लौण्डी 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ अरहर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला पन्ना : 1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर,मटर, आलू, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मूँग, तिल, गेहूँ, जौ कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला सागर : 1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
***जिला दमोह :**	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) लाख, तिवड़ा, तुअर, गेहूँ चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी कम. अरहर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों, तिवड़ा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना, मटर, गेहूँ अधिक. मसूर कम. राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी : 1. गोपदबनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला सिंगरौली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ अधिक. जौ कम. राई-सरसों, अलसी, मसूर, चना, आलू समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला मन्दसौर : 1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. सीतामऊ	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ चना अधिक. राई-सरसों, समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला नीमच : 1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला रतलाम : 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रतलाम	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
***जिला उज्जैन :** 1. खाचरौद 2. नीमच 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शाजापुर : 1. मो. बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
*जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. भामरा	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. तुअर, चना कम. कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. राणापुर	. .				
4. कट्ठीवाड़ा	. .				
5. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुवर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसराबद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) अलसी, राई-सरसों, लाख समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
*जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. हुजूर	..		(2) ..		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	..	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सरसों, अलसी, गन्ना सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ने की कटाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर,मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. चना फसल की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		राई-सरसों, मटर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) गेहूँ चना, मसूर, मटर, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांढुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हर्रई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) धान, मक्का, तुअर, रामतिल, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. बाजरा, कोदों-कुटकी, उड़द, सोयाबीन, तिल, सन, लाख, तिवड़ा कम. मूँग, मूँगफली, मसूर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला भिण्ड, सतना, सीधी, देवास, बड़वानी, राजगढ़, भोपाल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(407)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.